भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

सितम्बर 2022

वर्ष 36
संख्या 9

मूल्य 5 रुपये

'रेवड़ी' संस्कृति पर बेमानी बहस

गहराते आर्थिक संकट के दौर में फासीवादी शासकों की मुहिम

16 जुलाई 2012 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश में जालौन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने 'रेवड़ी संस्कृति' को खत्म करने का आवाह्न किया। लगभग उसी समय शासक भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्वनि कुमार उपाध्याय में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें राजनीतिक पार्टियों को राज्यों के चुनावों में ऐसे वायदे करने से रोका जाए जो जनता में किसी सामान के मुफ्त वितरण से सम्बंधित हो। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किये। नीति आयोग के सदस्यों ने भी इस पर बयान दिये कि चुनावी वायदे करने वाली पार्टी को बताना होगा कि जनता में ऐसे वितरण के लिए वह संसाधन कहां से जुटायेगी। चुनाव आयोग की ओर से भी इस पर बयानबाजी की गई। अखबारों में कथित विशेषजों, सरकारी अर्थशास्त्रियों तथा संपादकों ने इस "मुफ्त वितरण" (फ्रीबीज) के खिलाफ पन्ने काले किये। कुल मिलाकर चुनावों में पार्टियों द्वारा किये जाने वाले आर्थिक वायदों के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई तथा की जा रही है।

इस पूरी बेमानी बहस से कुछ बातें तो स्पष्ट हैं। पहली तो यह कि देश के शासक – सत्तारूढ आर.एस.एस.–भाजपा तथा सत्ता के विभिन्न निकायों के शीर्ष स्थानों पर बैठे लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि देश गहरे आर्थिक संकट में हैं जो और गहरा होने की ओर बढ़ रहा है। साथ ही यह अर्थहीन बहस सत्तारूढ पार्टी तथा सत्ता के निकायों के शीर्ष के लोगों की इस चिंता को भी दिखलाती है कि इस गहराते संकट के कारण जनता के अंदर बढ़ता असंतोष तथा विक्षोभ उनकी फासीवादी मुहिम के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकता है। इसलिए फासीवादी शासक इस गृहराते संकट के चुनावों पर संभावित असर को रोकने के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं ताकि इस संकट का जनता पर असर चुनावों को प्रभावित न करे। ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है कि कोई भी पार्टी जनता को राहत के रूप में "मुफ्त वितरण" के वायदे न कर सके। यह बहस कारपोरेट की चिंताओं को भी दर्शाती है जो सार्वजनिक आय व धन पर अपना एकाधिकार समझते हैं; जो जनता को दी जाने वाली किसी श्री राहत को अपने 'अधिकारों' पर हमला समझते हैं: जो शासक दलों को इसलिए सत्ता में लाते हैं कि वे देश तथा जनता के सभी संसाधनों को उन्हें सौंपे।

इस बहस की फासीवादी प्रेरणा इस बात से भी साफ स्पष्ट हे कि पूरी बहस राज्यों के चुनावों पर केन्द्रित है। सुप्रीम कोर्ट के आवेदन में कहा गया है कि मुफ्त वितरण ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है कि राज्य सरकार धन की कमी के कारण मौलिक सुविधाएं न दे सके तथा राज्य दिवालियापन की ओर बढ़े। यह स्थिति तो केंद्र में भी हो सकती है पर बहस में सारा जोर राज्यों पर है। और इसका कारण भी आसानी से समझ आता है। फासीवादी शासक गहराते आर्थिक संकट के जनता पर बोझ के चलते राज्यों के आसन्न विधानसभा चुनावों में अपनी हार की संभावना से आशंकित हैं। उन्हें यह भी डर है कि इनके नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। उनका कथित अमृतकाल खटाई मे पड़ सकता है। इसलिए सोची समझी साजिश के तहत इस बहस को खड़ा किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने भी इस मुद्दे को बहस में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निबाही है जबकि उच्चतम न्यायालय ने 2013 में सुब्राहमन्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु मामले में स्पष्ट कहा था कि "चुनावी घोषणापत्र में किया गया वायदा चुनाव जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण" नहीं है।" उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय की समीक्षा करने की बजाय इस मामले को "बहुत गंभीर विषय" बताते हुए इस बहस को तूल दिया है। उक्त निर्णय के बाद 22 अगस्त 2013 को चुनाव आयोग ने चुनावी मान्यताप्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी जिसमें पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आयोग के प्रस्तावों का विरोध किया था। बाद में चुनाव आयोग ने एक सशक्त आयोग का गठन किया जो देखेगा कि संसाधन जुटाने के प्रस्तावों का क्या औचित्य है।

दरअसल यह पूरा विषय ही वर्तमान में जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है, यह आर्थिक विषयों को जनता की राय जिस हद तक भी वह चुनावों में सामने आती है, से परे ले जाने का प्रयास है। ऐसा प्रयास 2008 में शुरू हुए विश्व वित्तीय आर्थिक संकट के विस्फोट के प्रभावों के चलते 2011–12 में भी किया गया था और ऐसी बहस छेड़ी गई थी। नवम्बर 2011 में मुम्बई सम्मेलन में भी 'नवीनीकरण का एजेंडा' पर ऐसे विचार रखे गये थे। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गर्वनर डी. सुब्बाराव ने भी 'लोकप्रियवाद' को खतरनाक बताते हुए आर्थिक नीतियों को चुनावी राजनीति से बाहर रखने की वकालत की थी। स्पष्टतः इस बहस का सम्बन्ध गहराते आर्थिक संकट के दौर में विदेशी तथा देसी कारपोरेट के हितों की सेवा करना है।

खास बात यह है कि यह बहस ऐसे समय सामने आई है जब देश की जनता

(शेष पृष्ठ 5 पर)

4 लेबर कोड के क्रियान्वन के प्रयासों के खिलाफ इफ्टू समेत ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध तथा प्रदर्शन

श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 25 और 26 अगस्त को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक की, जिसका इंडियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर संबंधित राज्य सरकारों से मांग की है कि वह श्रम संहिता को लागू करने से स्पष्ट रूप से इंकार करें। दो दिनों तक तिरुपति श्रमिक आंदोलन का केंद्र बना रहा। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश पुलिस ने 4 लेबर कोड का विरोध कर रहे इफ्टू सहित अन्य ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों पर बल प्रयोग किया, गिरफ्तारियां कीं और हाउस अरेस्ट कर विरोध को दबाना चाहा। दो दिवसीय तिरुपति सम्मेलन के विरोध में आंध्र प्रदेश में इफ्टू के अलावा सीटू, एटक सहित 9 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त आह्वान कर राष्ट्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन से मांग की कि वह मजदूर विरोधी कारपोरेट समर्थक 4 श्रम कोड को पूरी तरह निरस्त करने की सिफारिश करें। तिरुपति के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनेक शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में इफ्टू ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया और मार्च निकाल कर सभाएं की।

राज्यों के श्रम मंत्रियों के दो दिवसीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन करते हुए दावा किया कि 29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर 4 लेबर कोड लाना गुलामी के प्रतीकों को खत्म करना है। आरएसएस– भाजपा सरकार के प्रमुख का यह बयान देश के श्रमिकों का अपमान है जिन्होंने लम्बे संघर्षों, कुर्बानियों, शहादतों में अपना रक्त बहा कर श्रम अधिकार हासिल किए थे। 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग को लेकर देश के अधिकांश राज्यों में श्रमिक संगठनों ने दोनों ही दिन जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, धरना देकर बड़े–बड़े जुलूस निकाले व जनसभाएं की।

4 लेबर कोड पर तिरुपति में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के विरोध में तिरुपति में सभी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त विरोध को रोकने के लिए इफ्टू के राष्ट्रीय सचिव का. पी. प्रसाद तथा आंध्र प्रदेश सचिव का. हरिकृष्णा को गिरफ्तार करती पुलिस (बायें) तथा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान निजामाबाद (तेलंगाना) में निकाला गया जुलुस (दायें)

आंध्र प्रदेश

25 अगस्त को ट्रेड यूनियंस की तिरुपति में संयुक्त विरोध प्रदर्शन की तैयारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 2000 से अधिक पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था। यही नहीं सुबह से

(शेष पृष्ठ 7 पर)

उ.प्र.: आर.एस.एस.–भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद सांप्रदायिक विभाजन और फासीवादी दमन बढ़ा

आशीष

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने अपने एजेंडा – फासीवादी राजकीय दमन के साथ हिंदुत्व तथा कारपोरेट व विदेशी कंपनियों की हितपोषी को तेजी से बढ़ाना शुरू किया है। चुनाव में आरएसएस– भाजपा ने अपने मुस्लिम विरोधी हिंदुत्व आधार पर प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी के गुंडाराज की याद दिलाई और अपने शासन की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर मुफ्त राशन बांटने को भुनाया। कोरोना महामारी के दौरान जनता के प्रति अपने बेपरवाह तथा अमानवीय शासन पर असंतोष के चलते 19 महीने तक सरकार ने राशन बांटा। कोरोना पाबंदियों व पुलिस दमन ने आमजन को बेहद दयनीय व दरिद्र हाल में ला दिया था। इस दौरान भूख और बेरोजगारी के सवालों पर सरकार के विरुद्ध जनता के संघर्ष में विपक्षी दलों का जनता के साथ नहीं खड़े रहने का असर भी चुनाव परिणामों में दिखा। इन परिणामों से एक ओर शासक वर्गों द्वारा जनता के चयन में सांप्रदायिक व जातिवादी मुद्दों को मुखर बनाने की क्षमता स्पष्ट रूप से दिखी और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट दिखा कि जनता के लिए बदहाली, भूख और बेरोजगारी प्रमुख सवाल बन गए थे।

कारपोरेट परस्त प्रस्ताव, जनता के लिए खोखले वायदे

जीतने के साथ योगी ने पुनः एक्सप्रेस–वे, हवाई अड्डे, स्मार्ट शहर, डिफेंस व औद्योगिक कॉरिडोर, परिवहन सुविधाएं, आदि के विकास की घोषणाएं कीं। ऐसे विकास से क्षेत्रों की जमीन का मूल्य तो बढ़ता ही है, जनता अपनी बचत का पैसा लगाकर व्यवसायिक भवनों का निर्माण करती है, पर उसको नए रोजगार का कोई भी दूरगामी अवसर नहीं मिलता। यह विकास विदेशी व कारपोरेट निवेश को आकर्षित करने के लिए कराया जाता है और इससे लोगों का जीवन यापन पर खर्च और बढ़ जाता है। सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' और 6 मेगा फूड पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। उत्पादों में फसलें भी हो और पारम्परिक कारीगरों द्वारा निर्मित सामान भी। हर जिला एक विदेशी कंपनी को आवंटित होगा जो इन सामानों को सस्ते में खरीद कर महंगा बेचकर मुनाफा कमायेगी। कारपोरेट निवेश आकर्षित करने के लिए उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल, सस्ते हेंडीक्राफ्ट व फसलें और सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसी क्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का उद्घाटन किया गया। सिंचाई व्यवस्थित करने के वायदे पूरा करने के स्थान पर केन–बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना अमल की जा रही है, जिससे पर्यावरण नष्ट होगा और जनता को कोई लाभ नहीं है।

जनकल्याण के वायदे

कल्याणकारी योजनाओं के अमल के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। इसके तहत सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली पर दो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है जो 2016 में घोषित उज्जवला योजना के तहत 9 सिलेंडर छूट पर देने के विपरीत है। तब एक सिलेंडर रु. 420 का था अब 1150 रुपए का है।

चुनाव में भाजपा ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था। अब छापे मारकर पंपिंग सेट पर मीटर लगाए जा रहे हो। जहां मध्यप्रदेश में 2, 3 व 5 हॉर्सपावर पंप पर चार्ज रु0 100, 150 और 200 प्रतिमाह है, उत्तर प्रदेश में यह चार्ज 3 हॉर्सपावर तक रु. 550 महीना और 5 हॉर्स पावर का रु. 850 महीना है। बिल पूरे साल का लगता है जबकि कुछ साल पहले केवल 6 महीने का लगता था क्योंकि कुछ ही महीनों में कुछ ही दिन पंप का इस्तेमाल होता है। घरेलू बिजली पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं जो एक रिचार्ज व्यवस्था है। रिचार्ज व्यवस्था स्मार्ट सिटी की योजना का एक आवश्यक अंग है जिसमें उपभोक्ता को पेमेंट पहले ही करना होता है, सेवा में जो चाहे कमी रह जाए। यह कंपनी की आमदनी सुनिश्चित करता है।

जनता से सरकारी करों की वसूली बढ़ाने के लिए गांव में घरौनी पंजीकरण की योजना भी चलाई गई है जिससे अब सालाना हाउस टैक्स लगा करेगा। कहा जा रहा है कि इससे घर गिरवी रखकर लोग कर्ज ले सकेंगे। आंगनवाड़ी योजना के तहत बच्चों की शिक्षा व खाने की सामग्री कई जगह बंद कर दी गई है। स्कूलों में किताबें, ड्रेस, जूते, बैग देने की जगह नकद हस्तांतरण शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, कला लैब शुरू करने व पेंशन को बढ़ाकर रु. 1500 प्रतिमाह करने के वायदे भी किए थे।

मुफ्त राशन एक महत्वपूर्ण सवाल है और गरीब घरों में खाने की पूर्ति में इसकी बड़ी भूमिका बन गयी है। पहले सरकार ने नवंबर 2021 तक के लिए इसे शुरू किया था, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर इसे मार्च 2022 तक बढ़ाया और अब सितंबर 2022 तक। इस साल मई में प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी राशन लाभार्थियों से वसूली करने की घोषणा कर दी। 10 जिलाधिकारियों ने इसके आदेश जारी कर दिए, तो लाखों की संख्या में भयभीत लोगों ने राशन कार्ड रद्द कराने के लिए लाइन लगा दी। इससे तेजी से असंतोष और हड़कंप मचा कि सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा। इससे यह बात और स्पष्ट हो गई कि सरकार राशन बांटना बंद कर इसे नकदी में बदलना चाहती है। हालांकि भंडार में पर्याप्त गेहूं है, राशन में गेहूं की कटौती शुरू कर दी गयी है। सरकार ने खाद्य सब्सिडी पर पिछले साल 4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे और वह इससे मुक्ति चाहती है। विश्व व्यापार संगठन का दबाव ऐसे सरकारी खर्च को समाप्त कर खाद्यान्न बाजार को खुलने पर है।

बेरोजगारी का सवाल

चुनाव के दौरान जनवरी में रेलवे भर्ती प्रक्रिया में हेरा–फेरी को लेकर युवाओं व छात्रों का जुझारू आंदोलन हुआ था और अग्निपथ पर युवाओं का गुस्सा सभी देख चुके हैं। चुनाव के दौरान सरकार ने हर घर के लिए रोजगार देने का वायदा किया था। परिवार के एक व्यक्ति को लक्षित कर उसे या तो रोजगार या स्वरोजगार के लिए फंड देने की प्रक्रिया शुरू की है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में उसने आशा, आंगनवाड़ी, स्कूल रसोइयों की तर्ज पर कई युवाओं को ग्रामसेवक, निजी कंपनियों द्वारा बिजली मीटर रीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर, पी.डब्लू. डी. आदि के छोटी अवधि के, ठेके पर सरकारी काम दिए हैं। ये सभी रु. 4000 से 6000 महीने पर हैं।

स्वरोजगार के लिए परिवारों को एक नया परिवार कार्ड दिया जा रहा है। इससे कारीगरों और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की बात की है जिसके तहत 'एक जिला एक पदार्थ' की योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अमल के लिए अमेरिका की अमेजन.काम के साथ एक संधि कर कानपुर में उसका कार्यालय खुलवाया जा रहा है। इसी योजना के तहत 1 से कुछ लाख रुपये तक के उधार परिवारों को देने की बात है। इसमें धन के सही उपयोग की सरकारी संस्तुति के साथ 40% की छूट का प्रावधान है, पर गड़बड़ी होने पर व्यवसायिक ब्याज समेत कुल कर्ज वसूलने की शर्त भी है। इसी योजना के तहत नाविकों को भी नाव बनाने और मत्स्य पालन के लिए उधार देने का प्रस्ताव है, जबकि चुनाव में उनकी नाव द्वारा खनन शुरू करने के दिए गये वायदे को अभी तक पूरा नहीं किया है।

खेती

पिछले साल केंद्रीय बजट पेश करने के समय और इस चुनाव में भी भाजपा रसायन मुक्त पारंपरिक जैविक खेती की वकालत करती रही है। वास्तव में इससे खाद सब्सिडी पर सरकारी खर्च समाप्त करना है। इस मद में सरकार पिछले साल 1.1 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और इस साल यह 2.5 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। इस बचत के मोह में वे श्रीलंका के अनुभवों से कुछ भी नहीं सीख रहे है। हाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घोषणा की कि 67 फीसदी भारतीय किसान छोटे किसान हैं जो मशीनीकृत खेती के आर्थिक भार को नहीं सह सकते। वे कर्ज में फंस जाते हैं, उनमें से कई आत्महत्या कर लेते हो। इसलिए भागवत के अनुसार उन्हें प्राकृतिक, पारंपरिक तरीकों की खेती करनी चाहिए।

इस बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4000 फार्मर प्रोड्यूसर संगठन पंजीकृत किए हैं। यह एफपीओ ग्रामीण अमीर तबके अपने नाम से पंजीकृत करा रहे हैं, संगठन की सदस्यता साधारण किसानों को देकर उनसे चंदा जमा कर रहे हैं। यही एसपीओ विदेशी और घरेलू कंपनियों द्वारा ठेका खेती कराने और निजी मंडियों के संचालन के माध्यम बनेंगे, जैसा 3 कृषि (काले) कानूनों में था।

योगी सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों का सारा भुगतान करा दिया है लेकिन 32000 में से 9000 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बाकी है।

आरएसएस की वास्तविक योजना

वायदों की इस पृष्ठभूमि में भाजपा की यह डबल इंजन सरकार, बुलडोजर राज के माध्यम से हिंदुत्व राजनीति को बढ़ाने के प्रयास में है। शपथ लेने के साथ ही इसके कार्यकर्ताओं ने मथुरा और काशी को लेकर विवाद को गर्म करना शुरू कर दिया है और कोर्टों के दरवाजे भी खटखटाए हैं। वहां काफी हद तक उन्हें साथ मिला है।

सरकार बनने के बाद आरएसएस–भाजपा ने अप्रैल में रामनवमी यात्राएं शहरों के बाजारों में शोर के साथ निकालीं। लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद इन यात्राओं में तेज ध्वनि वाले डीजे और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। इनमें जनभागीदारी अधिक नहीं थी। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के अभियान चले। ग्रामांचल में देवी जागरण और भंडारों का भी आयोजन किया गया। इनमें भी भागीदारी मामूली रही। इस क्रम में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की मई के अंत में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी आई। मुस्लिम नेतृत्व द्वारा मामले को शांत रखने के प्रयासों से यद्यपि माहौल गरम नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के दबाव में भाजपा को इन दोनों नेताओं को निलंबित करना पड़ा। फिर भी भाजपा से जुड़े कई नेता मीडिया में इन बयानों के पक्ष में बोलते रहे। कानपुर में 3 जून को और इलाहाबाद में 10 जून को बंद की अपील की गई। इस परिस्थिति में कानपुर और इलाहाबाद में 'हिंसा' की गंई। हिंसा तो जांच का विषय है पर पुलिस द्वारा बताई गई कहानी से स्पष्ट है कि सरकार ने इन घटनाओं का पूर्व नियोजित रूप से इस्तेमाल किया। इन दोनों घटनाओं में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई टकराव नहीं हुआ। दोनों घटनाएं मुसलमानों की बस्तियों में आयोजित हुईं। विकास प्राधिकरणों द्वारा गैरकानूनी होने के नाम पर जो संपत्तियां नष्ट की गई इनमें बहुत सारे घर व छोटी दुकानें मुसलमानों की हैं।

उत्तर प्रदेश में घटित यह घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि सांप्रदायिक विभाजन और जनता पर दमन तेज करने का प्रयास किया गया है। इसमें विरोध करने वालों की निजी संपत्तियों को नष्ट करना दमन के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। साथ में लोगों का ध्यान उनकी जीविका की जरूरतों और भाजपा के वायदों से हटाने का प्रयास भी है। पर बदहाली का सच यह है कि जीविका के वास्तविक सवाल, लोगों के लिए आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में प्रगतिशील व जनवादी ताकतों की यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों की आवश्यकताओं पर आंदोलन का निर्माण करें और देश व जनता के विरुद्ध आरएसएस–भाजपा के इस सांप्रदायिक व फासीवादी हमले को परास्त करें।

10 जून '22 के इलाहाबाद की हिंसा

10 जून शाम को एडीजी इलाहाबाद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बयान दिया कि दंगों में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ जवान घायल हुए हैं, दंगाइयों को पीछे खदेड़ दिया गया है, सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट थी, समय रहते अधिकारी व पुलिस को इलाके में लगा दिया था, कुछ नाम सामने आए हैं, पहले भी यह लोग दंगे कराते रहे हैं, वामपंथी नेता डॉ. आशीष मित्तल, सारा अहमद, एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम व अन्य लोग हैं, इन्हें कानूनी प्रक्रिया में बांधने की कार्रवाई की गई है, आदि। अन्य बयानों में उन्होंने बताया कि ये लोग सीएए व एनआरसी विरोधी आंदोलन में भी शामिल थे। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि नमाज समाप्त होने के तुरंत बाद, 2:00 बजे हिंसा शुरू हुई।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

बिलकिस बानो केस : 11 दोषियों की रिहाई न्याय का उपहास

15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले से महिलाओं के मान सम्मान की बड़ी–बड़ी बातें कर रहे थे – महिलाएं देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ हैं; हमें इनका सम्मान करना चाहिए। और कुछ ही घंटों के भीतर भाजपा की गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्याकांड के 11 सजायाफ्ता दोषियों को जेल से रिहाई दे दी। जेल से बाहर निकलने पर इन दोषियों का जोरदार स्वागत किया गया। कुछ दिनों बाद गोधरा के विधायक सीके राउलजी ने कहा कि ये ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत हैं। ये विधायक महोदय इन सजायाफ्ता दोषियों की रिहाई के लिए बनी कमेटी के सदस्य भी थे।

पृष्ठभूमि

मार्च 2002 में गुजरात हिंसा के दौरान 20 वर्षीय बिलकिस बानो जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी, के साथ दंगाइयों की भीड़ में शामिल तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उनमें से एक ने उसका हाथ तोड़ दिया। हमीला, बिल्किस की 45 वर्षीय मां, का भी सामूहिक बलात्कार किया गया और बिलकिस की चचेरी बहन शमीमा की तरह उन्हें भी मार डाला गया। उसकी 2 दिन की मासूम, अनाम भतीजी और दो नाबालिग भाई और 13 साल और 20 साल की बहनों सहित उसके परिवार के कुल 14 लोगों की हत्या की गई। परिवार गांव में दूध बेचता था और बिलकिस का परिवार प्रत्येक अपराधी को जानता था। उनकी 3 साल की बेटी को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा गया था।

स्थानीय पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज किया और कुछ ही समय बाद आरोपी ना मिलने की वजह बताकर न्यायालय में मामले को बंद करने संबंधी अर्जी लगाई। बानो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। दिसंबर 2003 में इस याचिका को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच करने का आदेश दिया। अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का मुंबई की स्पेशल अदालत में सुनवाई का आदेश दिया। लंबी अदालती कार्यवाही के बाद 11 आरोपियों को 2008 में उम्र कैद की सजा हुई। अपनी सजा को इन दोषियों ने मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी परंतु मई 2017 में उनकी याचिका रद्द हो गई। अप्रैल 2019 में ही उच्चतम न्यायालय ने यह संज्ञान लेते हुए कि बानो को एक अनाथ, खानाबदोश की तरह जीना पड़ रहा है और बेहद कठिनाई के साथ जीवन चल रहा है, गुजरात सरकार को रु. 50000 विशेष मुआवजे के रूप में, एक घर और नौकरी बिलकिस को दिए जाने का निर्देश दिया।

रिहाई की पृष्ठभूमि

इन 11 सजायाफ्ता दोषियों में से एक ने सर्वोच्च न्यायालय में अप्रैल 2022 में याचिका दाखिल कर 15 वर्ष पूरे हो जाने के आधार पर सजा में छूट देते हुए रिहाई देने की मांग की। न्यायमूर्ति रस्तोगी और विक्रम नाथ के समक्ष प्रस्तुत याचिका में 9 जुलाई 1992 की नीति जो उस समय प्रचलित थी, के आधार पर अपनी रिहाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और गुजरात सरकार को 1992 की नीति के अनुसार रिहाई के विषय में विचार कर जल्दी – यदि संभव हो तो 2 महीने में – निर्णय लेने का निदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस संदर्भ में गुजरात सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई। पंचमहल के जिला कलेक्टर सुजल मायत्रा के नेतृत्व वाली कमिटी के अन्य सदस्य थे : सीके राउल जी गोधरा से भाजपा विधायक, सुनानबेन चौहान कलोल से भाजपा विधायक, सरदार सिंह बरिया पटेल भाजपा की गोधरा तालुक्का विंग के प्रमुख, विनिताबेन गोधरा की भाजपा महिला विंग की प्रमुख, पवन सोनी सदस्य भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी, दो भाजपा विधायक, गोधरा महिला विंग भाजपा, पुलिस के दो अधीक्षक, समाजिक जिला समाज कल्याण अधिकारी और गोधरा कोर्ट के सेशन जज। कमेटी ने इनकी रिहाई के आदेश दिए। यह भी सामने आया है कि मई 2022 तक इस कमेटी के एक सदस्य मुरली मूलचंदानी जो गोधरा के पूर्व निगम पार्षद रहे है, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने के संदर्भ में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें अभियोजन पक्ष के गवाह थे। उस मामले में 31 लोगो को सजा हुई थी और 11 लोगो को सजाए मौत सुनाई गई थी।

इस रिहाई के बाद से ही देश भर में महिला संगठनों, मानवाधिकार संगठनों, न्यायपसंद नागरिकों, सेवानिवृत न्यायधीशों सहित लोगों ने प्रदर्शन, खुले पत्रों, प्रेस साक्षात्कारों इत्यादि के माध्यम से इस रिहाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यह रिहाई न केवल बिलकिस बानो और उसके परिवार को सन्न कर देने वाली है बल्कि पूरे भारत की महिलाओं विशेषकर अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा पर सभी को सन्न कर देने वाली है (27 अगस्त 2022 को 134 भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पत्र से)।

"जिस जज ने मुकद्दमें की सुनवाई कर सजा सुनाई उनकी राय महत्वपूर्ण है। गुजरात सरकार की ओर से मुझसे इस संदर्भ में कोई संपर्क नहीं किया गया। रिहाई के बाद जिस तरह से अपराधियों का स्वागत किया गया वह बहुत ही अभद्र था।" रिटायर्ड जस्टिस यू जी सालवी, मुंबई हाई कोर्ट, जिन्होंने मामले की सुनवाई की आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी!

"मैंने अपने देश के उच्चतम न्यायालय पर भरोसा किया। मैंने तंत्र पर भरोसा किया और मैं धीरे–धीरे अपने भयावह अतीत के साथ जीना सीख रही थी। दोषियों की रिहाई से मेरी शांति भंग हो गई है और न्याय पर से मेरा भरोसा उठ गया है।"

– बिलकिस बानो द्वारा जारी बयान का अंश (17 अगस्त 2022)

"हम शर्मिंदा हैं कि जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया तो भारत की महिलाओं ने सामूहिक बलात्कारियों और सामूहिक हत्यारों को राज्य की उदारता के कार्य के रूप में मुक्त देखा" महिला संगठनों सहित लगभग 6000 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, न्याय पसंद नागरिकों द्वारा 19 अगस्त 2022 को जारी किए गए पत्र से।

विरोध के कानूनी पक्षों में सुप्रीम कोर्ट के ही विभिन्न निर्णय का हवाला देकर यह बताया जा रहा है कि जिस राज्य में मुकदमा चला है (इस केस में महाराष्ट्र) उसी सरकार को रिहाई के विषय में निर्णय करने का अधिकार है। यह बहस की जा रही है कि 1992 के आधार पर रिहाई की बात मानना सही नहीं क्योंकि मामला घृणित अपराध का है और वर्ष 2012 के बाद आईपीसी में गैंग रेप की सजा में बदलाव किए गए हैं। इस मामले से संबंधित न्यायधीश जिन्होंने सजा दी उनकी राय क्यों नहीं ली गई?

हालांकि कुछ मुद्दे ज्यों के त्यों हैं चाहे समीक्षा 1992 के मापदंडों के आधार पर हो या अन्य प्रकार से। रिहाई के लिए आवश्यक है यह जानना कि क्या व्यक्ति को कोई पश्चाताप है या नहीं। उनमें सुधार की क्या गुंजाइश हैं? प्रत्येक अपराधी का आंकलन अलग अलग किया जाता है। यह विचित्र है कि इन सजायाफ्ता आरोपियों में कई लोगों को जब जब बीच में पैरोल पर रिहा किया गया तो इन्होंने गवाहों को धमकाया और जिसके लिए इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ पर फिर भी इन सभी आरोपियों को एक साथ सजा में छूट देकर रिहा कर दिया गया। उन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, यहां तक फिर से पैरोल पर रिहाई भी नहीं रोकी गई। पैरोल पर आए कुछ दोषियों ने तो राजनैतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया गया, यदि 1992 के मापदंडों के आधार पर विचार किया गया तो भी।

इस रिहाई का वास्तव में उद्देश्य गुजरात चुनावों में वोटों की साम्प्रदायिक लामबंदी करना है। इस रिहाई से यह संदेश भी दिया गया है कि बेशक मोदी सरकार ट्रिपल तलाक के अपराधीकरण करके मुस्लिम महिलाओं की "हितैषी" बनने का नाटक करे, परंतु यदि मुस्लिम महिलाएं जिन्हें सांप्रदायिक हिंसा में उन्मादी भीड़ जिसे राजकीय समर्थन होता है, कौम को सबक सिखाने के लिए, यौन हिंसा का निशाना बनाया गया, भाजपा सरकार ऐसे दोषियों के प्रति पूर्ण समर्थन का रवैया रखेगी।

देश में इस रिहाई के बाद से ही इसके विभिन्न पक्षों पर तेज बहस चल पड़ी है। 1992 की रिहाई नीति के मुताबिक 14 साल पूरे कर लिए जाने पर छूट दी जा सकती हैं। पर इस पॉलिसी के तहत 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इतने घृणित अपराध को छूट के लिए विचार करने को कहना महिला आंदोलन के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2012 के बाद महिला आंदोलन ने जो कुछ कानूनी जीत– बलात्कार की परिभाषा और सजा की कड़ाई के रूप में हासिल की थी और महिलाओं पर यौन हिंसा के संदर्भ में समाज में कुछ हद तक एक संवेदनशीलता बना पाने में सफलता पाई थी उसे एक झटके में दरकिनार कर दिया गया। सन 2012 के बाद ही गैंग रेप के लिए सजा ए मौत (जिसे महिला आंदोलन उचित नहीं समझता जिसके कई कारणों में से एक यह भी है कि सजा की भीषणता नहीं पर सजा की सुनिश्चितता ही अपराध रोकने में कारगर होती हैं) की और आजीवन कारावास यानी अंतिम सांस तक कारावास की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा न केवल उपरोक्त कारणों से की जानी चाहिए अपितु सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि बिलकिस बानो मामला पारिवारिक दुश्मनीवश अथवा यूं ही किन्हीं अपराधियों द्वारा किया गया अपराध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को विशेष दर्जा देकर बानो को विशेष मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला दरअसल में एक समुदाय को दोयम दर्जे का संदेश है; इस नजरिए के साथ किया गया अपराध है। ऐसे में इन मुजरिमों की सजा माफी के लिए विचार करके उनकी रिहाई से क्या यही संदेश नही जा रहा कि राज सत्ता ऐसे अपराधियों के साथ खड़ी है जो कौम को सबक सिखाने के लिए महिलाओं पर यौन बर्बरता की सभी हदें लांघ देते है? क्या असल समाज में ऐसी ताकतों को चूंकि उन्मादी भीड़ की लगातार आवश्यकता पड़ती है, ऐसी उन्मादी भीड़ में शामिल लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि यदि अदालती प्रक्रिया के द्वारा सजा हो भी जाएगी तो भी यह मनुवादी हिंदुत्ववादी ताकतें यदि सरकार में रहती हैं तो सजायाफ्ता दोषियों तक की रिहाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश की महिलाओं जो विभिन्न धर्मों की मानने वाली हैं को भी साफ संदेश दिया गया है अदालतों में जीत के बाद भी उनकी जीत सरकारों द्वारा हार में बदली जा सकती है। महिला आंदोलन के सामने यह चुनौती रखी गई है कि वर्तमान भारत में महिलाओं को पहले अपने ऊपर होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों के कानूनी समाधान के लिए कानून लिखवाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मथुरा रेप केस, रमीजा बी, निर्भया केस के बाद हुए आंदोलनो के द्वारा ही कानून में कुछ महिला पक्षीय प्रावधानों को दर्ज करवाया गया। फिर कानून लागू कराने के लिए महिलाओं को लड़ना पड़ता है तो यह और ज्यादा भीषण, कटु और थका देने वाली प्रक्रिया ही होती है। बिलकिस बानो का केस और अंततः दोषियों को रिहा किया जाना इस अनुभव को एक बार फिर से दोहराता है। यदि स्थापित कानूनों के तहत सजा दिलाने और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में सफल भी हो जाए तो सरकार न्याय की अदालतों द्वारा जीती गई लड़ाई और न्याय को दरकिनार करती हैं।

आज की परिस्थिति में देश की साधारण महिलाओं की भोजन, शिक्षा, रोजगार, इलाज तक पहुंच सीमित होती जा रही है। ऐसे में गुजरात सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं यदि अदालतों में न्याय हासिल कर पाने में सक्षम हो भी जाती हैं तो सजायाफ्ता दोषियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। इन हालातों के जिम्मेदार ये हिंदुत्ववादी शासक जिनका हिंदुत्व उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक है, के खिलाफ हजारों हजारों की संख्या में साधारण महिलाओं को आंदोलनों में उतार कर जल, जंगल, जमीन और न्याय की रक्षा के लिए निकालना ही होगा ।

25 अगस्त को इस रिहाई के खिलाफ कुछ नागरिकों द्वारा दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।

(शोभा के सहयोग से पूनम द्वारा लिखित)

दिल्ली : उद्योगों में काम करने वाली महिला

प्रगतिशील महिला संगठन के साथियों ने दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला मजदूरों की स्थिति समझने के लिए एक अभियान लिया।औद्योगिक इलाकों और मजदूर बस्तियों में महिला मजदूरों से बात चीत के दौरान कुछ सवाल जो प्रमुखता से सामने आए यहां उन्हें रखा जा रहा है।

मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र

मंगोलपुरी औद्योगिक इलाके के फेज 1 और फेज 2 में काम करने वाली महिला मजदूरों से बात की गई। ये महिलाएं अलग–अलग सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में हेल्पर या फिर कुशल कारीगर के रूप में कार्यरत हैं। अमूमन 5000 से 8000 रुपयें के बीच में ही महिला मजदूर तनख्वाह पा रहीं हैं। इन महिलाओं के पास ईएसआई पीएफ नहीं है और ना ही इनके पास कोई सबूत कि वे अमुक फैक्ट्री में काम करती हैं। नई भर्ती से लेकर 5 साल से अधिक तक फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली महिला मजदूरों का औसतन यही हालात है।

जींस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला मजदूर ने बताया कि वह पिछले 10 साल से मजदूरी करती है और 8 घंटे के काम की रु. 10000 वेतन पाती हैं। उन्हें ईएसआई या पीएफ की सुविधा हासिल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली लगभग 10 महिलाओं ने बताया कि उनकी फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने की तनख्वाह रु. 10000 है। 8 घंटे के काम के 8200 रुपए मिलते हैं। ईएसआई ,पीएफ नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि नई भर्ती पर 12 घंटे के रु. 5000 ही महिला मजदूरों को मिलते हैं। 10 मजदूरों की एक अन्य फैक्ट्री में कार्यरत महिला मजदूरों ने बताया कि 8 घंटे की तनख्वाह रु. 10000 मिलती है। ईएसआई, पीएफ 6 महीने बाद कटना शुरू होता है। पेपर कॉइन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला मजदूरों ने बताया कि हेल्पर और कारीगर की तनख्वाह क्रमशः 7500, 8000 रु. है। नई भर्ती पर रु.7000 मिलते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है। नई भर्ती में 3 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसका कोई पैसा ही नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि यह तनख्वाह उनके बैंक खाते में जमा होती है। इस फैक्ट्री में कारीगर की तनख्वाह में लैंगिक भेदभाव है। पुरुष कारीगर को उसी काम के लिए जो महिला कारीगर करती हैं ज्यादा वेतन दिया जाता है।

जूता उद्योग

मंगोलपुरी में जूता उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग में काम करने वाली विभिन्न फैक्ट्रियों की लगभग 70 से अधिक महिलाओं से हमने बातचीत की। वे पैकिंग से लेकर अलग अलग स्तर पर हेल्पर और कुशल कारीगर का भी काम करती हैं। आम तौर पर महिला मजदूरों की 8 घंटे की तनख्वाह रु. 6000 से लेकर 8000 है। ना किसी के पास ईएस आई है और ना पी एफ। ना ही किसी के पास कोई सबूत है कि वे इस फैक्ट्री में काम करती हैं।

पिछले 4 महीने से पीतल के नल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली विमला 8 घंटे के रु. 6000 पाती हैं। 200 से 250 मजदूरों के कार्यबल वाली इस फैक्ट्री में विमला के पास ना तो ई एसआई है ना ही पीएफ। ना ही इनके पास फैक्ट्री में काम करने का कोई सबूत है। रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली लगभग 15 महिलाओं से बातचीत के दौरान पता लगा कि वे लगभग 10 साल से काम कर रही हैं। महिला मजदूरों को 8 घंटे की रु. 8000 तनख्वाह मिल रही है। काम करने वाली महिला मजदूरों के पास काम का कोई सबूत नहीं है; ना ही ईएसआई और पीएफ मिलता है। वाइपर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली लगभग 10 महिला मजदूरों ने बताया कि इस फैक्ट्री में काम करने वाली महिला मजदूरों की 8 घंटे की तनख्वाह रु. 6500 है। ईएसआई, पीएफ या फिर काम का कोई सबूत नही। दाना फैक्ट्री में काम करने वाली सावित्री ने अभी हाल ही में नौकरी ज्वाइन की है। 8 घंटे की तनख्वाह 8000 रूपये महीना तय हुई है। इसके पूर्व उन्होंने 5 साल एक फैक्ट्री में काम किया था पर वहां पर भी सरकार द्वारा घोषित वेतन नहीं मिलता था।

मोटर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत में पता लगा कि इस फैक्ट्री में 14 साल से काम करने वाली महिला मजदूर की तनख्वाह 14000 रुपए है और नई भर्ती पर 9000 रुपए मिलते हैं। मोबाइल टैंपर बनाने वाली फैक्ट्री में पैकिंग के काम में पुराने समय से लगी महिला मजदूरों ने बताया कि उन्हें 8 घंटे के 8000 और नई भर्ती वालों को 8 घंटे के रु. 7000 मिलते हैं। ईएसआई, पीएफ नहीं है।

अधिकांश महिला मजदूर जिनसे हमने बातचीत की किराए के घर में रहती हैं। पति भी फैक्ट्री में ही मजदूरी करते हैं। उन्हें भी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। मंगोलपुरी क्षेत्र में घर का आम तौर पर किराया 3500–4500 रुपए है। बिजली 6–7 रुपए यूनिट ली जाती है। पानी का पैसा 200 रूपये प्रति माह लिया जाता है। बच्चों की महंगी शिक्षा, खाद्य तेल, दाल, सब्जी आटे आदि के आसमान छूते दाम महिलाओं का जीवन अति कठिन कर रहे हैं बातचीत में ये भी पता लगा। दिल्ली सरकार की कोई व्यवस्था इस रूप में नही है जो छोटे मकान मालिकों और किरायेदार दोनो को सहूलियत दे सके।

हैदरपुर झुग्गी बस्ती

26 वर्षीय संगीता बिहार के बेगूसराय जिले की है। दसवीं कक्षा पास संगीता 10 साल से दिल्ली के हैदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करती हैं। यहीं पास की झुग्गी बस्ती में किराए पर रहती हैं। 8 साल से संगीता लोहे के कब्जे बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। संगीता मशीन चलाती हैं। 8 घंटे की ड्यूटी के रु. 6500 प्रति माह प्राप्त करती हैं। 8 साल से नौकरी करने के बावजूद कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। कोई ईएसआई, पीएफ नहीं है। इनकी फैक्ट्री में 10 मजदूर काम करते हैं। इनमें से किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। तनख्वाह नकद मिलती है। ठेकेदार कौन है बस इतना ही पता है। ना कंपनी का नाम मालूम है ना कंपनी के मालिक का नाम। ठेकेदार की तरफ से भी काम का किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया जाता।

मेनका 2 साल से हैदरपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करती हैं। 8 घंटे काम की तनख्वाह रु. 6000 मिलती है।

सुनीता पिछले 15 सालों से अलग–अलग फैक्ट्रियों में नौकरी कर रही है। लेकिन किसी भी फैक्ट्री में ना तो कभी सरकार द्वारा घोषित तनख्वाह मिली ना ही काम पर रखे जाने का कोई सबूत। अभी पिछले 4 महीने से शालीमार गांव में स्टील की फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहीं हैं जहां 8 घंटे के रु. 9000 मिल रहे हैं। ना तो सरकार द्वारा घोषित वेतन मिल रहा है और ना ही ईएसआई और पीएफ।

बीए पास सरोजा दिल्ली में पिछले 5 साल से रह रही है। आजादपुर स्थित एक कॉल सेंटर में पिछले 2 साल से काम करने वाली सरोजा की 8 घंटे की तनख्वाह रु. 12000 हैं। लेकिन ना कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है ना ही ईएसआई और पीएफ। इनकी तनख्वाह अकाउंट में मिलती है परंतु सरकार द्वारा घोषित तनख्वाह नहीं मिलती। हैदरपुर क्षेत्र में ही काम करने वाली शफीक उल निशा स्टील लाइन में मशीन चलाती हैं। दो ढाई साल से यह काम कर रही हैं। इससे पूर्व 6 साल से हेल्पर का काम करती थी। 8 घंटे की तनख्वाह रु. 6000 महीना मिलती है। शमा परवीन स्टील के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं। शमा परवीन पिछले 15 दिन से घर बैठी हैं क्योंकि एक दिन वह 5 मिनट लेट हो गई थी और उन्हें काम पर से हटा दिया गया और तनख्वाह भी नहीं दी।

4 महीने से 5500 रुपए महीने पर काम करने वाली स्टील की फैक्ट्री में पॉलिश करने वाली 6 महिलाओं ने बताया कि उनकी फैक्ट्री में लगभग डेढ़ सौ मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री में इन महिलाओं को 5 साल हो गए हैं और 5500 से 6000 तक की तनख्वाह मिलती है। कोई नियुक्ति पत्र नहीं है। कोई सबूत नहीं है काम का और कोई ईएसआई और पीएफ भी नहीं है। इसी क्षेत्र में एक अन्य महिला नीलम जो स्टील लाइन में नौकरी करती है पिछले कई महीनों से काम कर रही हैं। रु. 5000 8 घंटे से काम की शुरुआत करने वाली नीलम की तनख्वाह मार्च में 5500 रुपए की है। जौनपुर की मंजू पिछले 3 साल से दिल्ली में है। पैकिंग का काम करती हैं 8 घंटे की तनख्वाह रु. 6000 हैं। ईएसआई, पीएफ या फिर काम का कोई भी सबूत इनके पास नहीं है।

एटा जिले की मुन्नी हैदरपुर स्थिति स्टील के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हैं। उन्होंने बताया कि वह पाइप में रबड़ लगाने का काम करती हैं। 3 से 4 साल से काम कर रही हैं। इन महिलाओं को 8 घंटे का 5500 रुपए मिलता है। इनके पास ना ई एस आई है ना पीएफ और ना ही कोई सबूत। 50 से अधिक मजदूर इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं लगभग सभी की तनख्वाह ऐसी ही है। सरकार द्वारा घोषित वेतन किसी को नहीं मिलता। हैदरपुर क्षेत्र में लाइट की फैक्ट्री में काम करने वाली लगभग 10 महिलाओं ने बताया कि महिला मजदूर हेल्पर और कारीगर दोनों ही काम करती हैं। हेल्पर महिलाओं को 8 घंटे के 5500 और कारीगर को 7000 रु. मिलते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो 8 दिन यानी 23 मार्च 2020 से 31 मार्च की तनख्वाह भी काट ली गई थी और पूरा लॉकडाउन तो तनख्वाह ही नहीं मिली। सरकार द्वारा घोषित वेतन किसी को भी नहीं मिलता। इन महिलाओं ने बताया कि इन की फैक्ट्री में काम करने वाले किसी भी मजदूर को कोई ईएसआई पीएफ नहीं मिलता। और ना ही इनके पास इस फैक्ट्री में काम करने का कोई सबूत है। हैदरपुर स्थित प्लास्टिक के नल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली लगभग 20 महिलाओं ने बताया कि फैक्ट्री में 10 घंटे की नौकरी की रु. 6000 तनख्वाह है। 6 साल से भी काम कर रही हैं और जो नया लगता है उसे 8 घंटे के 5000 और 10 घंटे के 5500 रुपए तनख्वाह दी जाती है। 200 से अधिक मजदूरों वाली फैक्ट्री में कार्यरत इन महिलाओं के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे इस फैक्ट्री में काम करती हैं। ना ईएसआई पीएफ। हैदरपुर में ही लैपटॉप के स्विच बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली लगभग 10 महिला मजदूरों ने बताया कि 6 साल से काम करने के बावजूद उनकी 9 घंटे की ड्यूटी की तनख्वाह रु. 6500 हैं और 8 घंटे की ड्यूटी के 5000। कोई सबूत नहीं है काम करने का; कोई ईएसआई पीएफ नहीं। लकड़ी के खिलौने इत्यादि बनाने वाली हैदरपुर स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत लगभग 20 महिलाओं ने बताया कि फैक्ट्री में 50–60 मजदूर काम करते हैं। 10 घंटे की तनख्वाह इन महिलाओं के 5500 रुपए हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है फैक्ट्री में कार्यरत होने का; कोई ईएसआई पीएफ नहीं। तनख्वाह नगद मिलती है। स्टील के चम्मच बनाने वाली हैदरपुर स्थित फैक्ट्री में कार्यरत रंजीता ने बताया कि वे पिछले 10 साल से फैक्ट्री में काम करती हैं। लगभग 60 मजदूरों वाली फैक्ट्री में 30 के लगभग महिलाएं हैं और 8 घंटे की तनख्वाह रु. 5500 है। इस फैक्ट्री में वे 8 साल से काम कर रही हैं परंतु ना काम का कोई सबूत इनके पास है ना पीएफ ईएसआई।

18 वर्षीय कविता जहां काम करती हैं वहां पर न ईएसआई है न पीएफ। सरकार द्वारा घोषित तनख्वाह भी नहीं मिलती। 8 घंटे की तनख्वाह रु. 9000 मिलती है।

अस्पतालों में कार्यरत महिला मजदूर

श्रीमती धन रावत पिछले 6 साल से सफदरजंग अस्पताल में हाउसकीपिंग की नौकरी करती हैं। उन्होंने बताया कि ईएसआई पीएफ काटकर रु. 15700 की तनख्वाह आती है। हाउसकीपिंग के काम में पक्के कर्मचारी की तनख्वाह 40,000 से भी ऊपर है। ठेके के कर्मचारी पक्के कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं पर हाथ में रु. 15700 आते हैं। हम पक्के कर्मचारियों की तरह का ही काम करते हैं फिर वेतन में असमानता क्यों? यह सवाल है धन रावत का। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई ठेकेदार बदलता है तो कर्मचारियों की नौकरी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं उसी संस्थान में हमारी नौकरी जारी रहनी चाहिए।

हमने ईएसआई अस्पताल में काम करने वाली महिलाओं से बात की। 10 महिलाओ ने बताया कि ठेके पर ही सफाई या हाउसकीपिंग का सारा काम होता है। महिला मजदूरों की संख्या पुरुष मजदूरों के अनुपात में अधिक है। कुल

मजदूरों के हालात पर रिपोर्ट

80 मजदूरों में 60 महिलाएं हैं। तनख्वाह 10000 रूपये खाते में आती हैं और ईएसआई, पीएफ कटता हैं। पर ये नही पता चलता कि ईएसआई कितना और पीएफ कितना कटता है क्योंकि सैलरी स्लिप नही मिलती। जितना काम है उसके अनुसार मजदूर नहीं रखे गए हैं और मजदूर जितना काम करते हैं उसके अनुपात में उनकी तनख्वाह बहुत कम है।

पिंकी हैदरपुर स्थित मैक्स अस्पताल में ठेकेदार की मार्फत हाउसकीपिंग का काम पिछले 10 साल से कर रही हैं। ईएसआई, पीएफ कटने के बाद रु. 15000 पाती हैं। ड्यूटी 8 घंटे की है। वे मांग करती हैं कि ठेकेदार बदले तो भी नौकरी उसी संस्थान में जारी रहनी चाहिए, हमारी नौकरी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ठेका मजदूरों को रोज काम मिले।

कनिष्का की उम्र 25 साल है। पिछले 3 महीने से साईं स्टैंडर्ड कंपनी के मार्फत हाउसकीपिंग का काम हैदरपुर मैक्स में कर रही हैं। 8 घंटे की शिफ्ट के रु. 500 मिलते हैं। सैलरी मिलने का कोई निश्चित समय नहीं है। 10 बार फोन करके ही सैलरी मिलती है। 4 घंटे का ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है। पेशेंट ड्यूटी पर भेजा जाता है पर आने–जाने का खर्च नहीं देते। सही एड्रेस और लोकेशन न होने के कारण जब यह पहुंचने में लेट हो जाती हैं तो इनकी ड्यूटी ही खत्म हो जाती है। रात को वापसी में देरी हो जाती हैं तो कंपनी द्वारा घर छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती। ठेकेदार मनमर्जी से काम से निकाल देते हैं। कोई गारंटी नहीं होती कि रात को काम करके लौटे और सुबह फिर से काम पर रखा जाएगा।

स्कूलों में कार्यरत महिला मजदूर

सविता प्रभु दयाल स्कूल में ठेकेदार की मार्फत 5 साल से हाउसकीपिंग का काम कर रही हैं। 16000 रूपए पीएफ ईएसआई कटने के बाद मिलते हैं। ड्यूटी 8 घंटे की है। 15 साल से दिल्ली में हैं। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठेकेदार का भरोसा नहीं होता कि कब नौकरी पर रखेगा और कब नहीं। हमारी नौकरी की गारंटी होनी चाहिए।

रजनी 11 साल से अशोक विहार स्थित प्रिजिडियम स्कूल में आया यानी छोटे बच्चों की देखरेख का काम करती हैं। शुरू में स्कूल के माध्यम से ही काम करती थी। लेकिन 3 साल बाद ही ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखा गया। लाकडाऊन के दौरान घर बैठा दिया गया। स्कूल खुलने के बाद भी नहीं बुलाया। स्कूल में जाने पर स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा ठेकेदार के पास जाओ। ठेकेदार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कुछ समय पूर्व दिल्ली सरकार के श्रम विभाग में अपनी शिकायत लगाई है पर वहां पर भी मालिक ने काम पर रखने से मना कर दिया है। बिना किसी कारण से नौकरी पर से निकाल दिया गया है।

टिप्पणियां

हमारी बातचीत से साबित होता है कि दिल्ली सरकार अपने ही द्वारा घोषित वेतन भी दिल्ली की फैक्टरियों में कार्यरत महिला मजदूरों को देने की गारंटी नही कर रही है।

प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले महिला मजदूरों को संगठित कर रहा है और मांग कर रहा है कि दिल्ली सरकार अविलंब दिल्ली के सभी औद्योगिक इलाकों, मजदूर बस्तियों में सरकारी रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए। सभी महिलाएं जो फैक्ट्री में काम करती हैं, सबका पंजीकरण करे। इस तरह सभी पंजीकृत महिला मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन, ईएसआई और पीएफ देने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले। दिल्ली सरकार अपने श्रम विभाग के द्वारा ऐसा कर सकती है हालंकि यह वर्षों पूर्व ही दिल्ली के सभी मजदूरों के लिए कर दिया जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में मालिकों के संगठनों को शामिल करके भी श्रम कानूनों के अमल की व्यवस्था कर सकती है। और अगर मालिकों द्वारा कानून के अनुपालन करवाने की कोई इच्छा दिल्ली सरकार की नही है तो फिर सरकार स्वयं ही मजदूरों को अपने द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन प्रदान करे।

2. सर्वे में यह भी सामने आया कि अस्पताल, स्कूल या अन्य संस्थानों में एक बहुत बड़ा प्रश्न ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को रोज काम पर न रखने का डर है। ठेकेदार ड्यूटी नही देगा ये एक बहुत बड़ा कारण है ठेकेदार की मनमानी को झेलने का। ठेकेदार बदलने के बाद ड्यूटी पर ना रखा जाना एक बहुत बड़ा सवाल है हालांकि इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है।

3. केंद्र सरकार 2023 में 4 नए लेबर कोड लागू करने जा रही है। ये नये लेबर कोड बुनियादी रूप से उस ढांचे को खत्म करते हैं जो श्रम कानूनों के श्रम पक्षीय प्रावधानों जैसे न्यूनतम वेतन, ईएसआई, समान काम समान वेतन, गैर कानूनी छंटनी से बचाव आदि के लिए कानूनी लड़ाई का ढांचा प्रदान करते हैं। पर नए कानून जिसे केंद्र की मोदी सरकार बिजनेस करने की सहूलियत के रूप में प्रचारित कर ला रही है परंतु इनमें मजदूरों के लिए न नौकरी की रक्षा न नौकरी में मजदूरों की रक्षा की व्यवस्था है। महिला मजदूर जो कि दोहरा शोषण झेलती है एक तो महिला होने के कारण घर से नौकरी के लिए निकलने में ही बहुत संघर्ष करती है या फिर बहुत रक्षात्मक स्थिति में कि आदमी की कमाई इतनी नहीं है इसलिए मजबूरी है। इन दोनो ही स्थितियों में केंद्र सरकार जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है तो प्रश्न यह है कि जब महिलाओं को न तो नौकरी की सुरक्षा होगी, न ही नौकरी में सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी होगी तो कैसे महिलाएं बेटी पढ़ाएंगी? कैसे वे आत्मनिर्भर होंगी?

यह देखने वाली बात है कि इस वर्ष जब देश में केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, दिल्ली सरकार जोर शोर से आजादी का उत्सव मना रही है क्या ये सरकारें दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला मजदूरों को उनके काम की पहचान, न्यूनतम वेतन और अन्य श्रम सुविधाएं मिलने की गारंटी करेंगी? क्या ठेके पर काम करने वाली महिला मजदूरों को समान काम समान वेतन, नौकरी की गारंटी मिलेगी ?

'रेवड़ी' संस्कृति के नाम पर फासीवादी शासकों की मुहिम

(पृष्ठ 1 का शेष)

बेहद बदहाली से गुजर रही है। बेरोजगारी तथा महंगाई आसमान छू रही हैं।

भारत में यह बहस वैसे भी बेमानी है क्योंकि यहां जनता पर खर्च– सामाजिक क्षेत्र पर खर्च– बहुत कम है। कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कटौती की। आर.एस.एस. –भाजपा सरकार का सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च कम है तथा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, बिजली, पानी तथा रोजगार सृजन पर खर्च में कटौती की गई है। बड़ी धूमधाम से शुरू की गई रसोई गैस निशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बिना किसी घोषणा के खत्म कर की गई। इस वर्ष इस मद में केवल 243 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि पिछले वर्षों में इस पर 35 से 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये। हमारे देश में 'रेवडी संस्कृति' का हवाला जनता के संदर्भ में बेमानी है क्योंकि हमारे यहां जनता पर खर्च ही बहुत कम है। हां चहेते कारपोरेट घरानों को दी जाने वाली रियायतें निश्चय ही इसके दायरे में आती हैं। वैसे भी राज्यों के कुल राजस्व में अनुदान का हिस्सा 2021–22 में मात्र 8.2 प्रतिशत था तथा 2019–20 में 7.8 प्रतिशत। दरअसल देश के शासक देश की जनता को नागरिक नहीं बल्कि प्रजा समझते हैं इसलिए किसी भी अधिकार की बात ही नहीं समझते।

जिन चीजों को कारपोरेट पोषित अर्थशास्त्री तथा संघ–भाजपा के लोग 'फ्रीबी' बताते हैं दरअसल हर समाज में आज जरूरत की चीजें बन गई हैं। यहां एक ही उदाहरण काफी होगा। सभी जानते हैं कि 'लैपटाप' न होने के कारण गरीबों के करोड़ों बच्चे कोरोना काल में शिक्षा से महरूम रह गये।

यह पूरी बहस बहुत ही गहराते आर्थिक संकट को छिपाने तथा 'अतिमहाशक्ति' बनने की ओर अग्रसर होने का दिखावा करना जारी रखने का प्रयास है। श्रीलंका तथा पाकिस्तान में बढ़ता जनाक्रोश देश के शासकों की नींद उड़ाये हुए हैं। ऐसा संकट निर्यातोन्मुख तथा विदेशी पूंजी निवेश पर आधारित विकास के माडल की वजह से और गहरा हुआ है। भारत पेट्रोलियम पदार्थों, रसायनों, खाद, खाद्य तेलों, दालों, इलेक्ट्रोनिक उपकरणों तथा रक्षा जरूरतों का आयात करता है। इनमें बड़ा हिस्सा जरूरी आयात का है। इसलिए विश्व व्यापार, पहले कोरोना तथा अब रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण बाधित हुआ है तथा भारत का व्यापार घाटा जून 2022 महीने का 32 अरब डालर हो गया है। विदेशी मुद्रा का भंडार सितंबर माह के शुरू में 553 अरब डालर रह गया है जो जनवरी 2022 के अंत में 633 अरब डालर था। स्वर्ण भंडार का मूल्य 70.4 अरब डालर से घटकर 39.9 अरब डालर रह गया है। आगामी समय में ब्याज तथा किश्तों की देनदारी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी दबाव है। इस संकट के असर की एक बानगी सेना में भर्ती के लिए "अग्निपथ योजना" के रूप में देखी गई। सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए सैनिकों पर खर्च में भारी कटौती की गई। इसके अलावा पश्चिमी देशों– विशेषकर अमेरिका– में बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है जिसका असर भारत जैसे देशों से इन देशों की पूंजी के पलायन के रूप में सामने आ सकता है।

फासीवादी शासक तथा सत्ता निकायों के शीर्ष पर बैठे लोग इस संकट से भली भांति परिचित हैं और ऐसे समय में शोषण तथा उत्पीड़न को तेज करने, फासीवादी शासन को सुदृढ़ करने के लिए कृत्रिम रूप से 'फ्रीबीज' पर बहस को खड़ा किया गया है। यह बहस शासक वर्गों के हितों को साधने के लिए तथा संकट के बावजूद इनके हितों के पोषण के लिए खड़ी की गई है। इस बहस के जरिए शासक देश की बहुसंख्यक, गरीब जनता की बदहाली का मजाक उड़ा रहे हैं तथा बेहतर जीवन की उनकी आकांक्षाओं का अपमान कर रहे हैं।

इस संदर्भ में यदि कोई बात प्रासंगिक तथा जरूरी है तो वह यह कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वायदों को पूरा करने को बाध्य किया जाये। झूठे वायदों को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण घोषित किया जाए तथा ऐसे झूठे वायदे करने वालों (जुमलेबाजों) की मान्यता तथा उनके प्रतिनिधियों को सदस्यता रद्द की जाए। इस आशय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली भी गई थी परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया। जनता से झूठे वायदों कर हासिल किये गये वोट हर दृष्टि से भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं। इस आशय की याचिका पाकिस्तन के सुप्रीम कार्ट में भी डाली गई थी; कोर्ट ने उस पर नोटिस भी जारी किया पर बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्पष्ट है कि जनता के शोषण तथा उत्पीड़न पर आधारित व्यवस्था जनता से झूठे वायदों के बिना नहीं चलाई जा सकती। शोषण तथा उत्पीड़न पर जनवादी मुलम्मा चढ़ाने के लिए जुमले जरूरी हैं।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

पिछले अंक से पत्रिका का प्रकाशन पुनः शुरु किया गया है। हम इसे नियमित प्रकाशित करने की आशा रखते हैं तथा इसके लिए पाठको से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के ग्राहक बढ़ाने में सहयोग करें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*

ओडिशा : का. हरिबंधु कद्रका को लाल सलाम

ओडिशा के रायगड़ा जिले के लोकप्रिय आदिवासी नेता और एआईकेएमएस जिला सचिव कामरेड हरिबंधु कद्रका का अपने गांव राजुलगुड़ा में 9 अगस्त को निधन हो गया। 48 वर्षीय कामरेड कद्रका 3 अगस्त को दिल्ली में जंतर–मंतर पर आयोजित एआईकेएमएस के धरने में शामिल हुए थे। कामरेड को दिल्ली से लौटने के बाद बुखार हुआ और 5–6 दिनों की बीमारी में इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी ओडिशा प्रांतीय समिति ने का. हरीबंधु कद्रका के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

का. हरिबंधु बीते डेढ़ दशक से रायगड़ा के किसानों, आदिवासियों और दलितों के संघर्ष में सक्रिय रहे हैं। खासकर मुनीगुडा क्षेत्र में पुलिस, जमींदारों और वेदांता कंपनी द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमो का भी उन्होंने सामना किया। 2004 में तत्कालीन लोक संग्राम मंच में शामिल होकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। भूमिहीन गरीबों विशेष रूप से आदिवासी समुदाय और दलितों को संगठित कर इलाके में व्यापक भूमि आंदोलन चलाया। उनके ही नेतृत्व में 9 गांवों के जमींदारों से 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि कब्जा कर भूमिहीनों में वितरित की थी। यह भूमि संघर्ष ओडिशा में जमींदारों के खिलाफ हुए संघर्ष का एक बड़ा उदाहरण बना।

बाद में मुनीगुडा भूमि आंदोलन को पुलिस के गंभीर दमन का सामना करना पड़ा और कामरेड हरीबंधु को पुलिस और जमींदारों द्वारा लगाए गए मामलों में कई बार गिरफ्तार किया गया। कामरेड हरीबंधु ने वेदांता कंपनी के प्रस्तावित बॉक्साइट खनन के खिलाफ नियामगिरि के डोंगरिया आदिवासियों को संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में पार्टी और संगठन कार्यकर्ताओं ने नियामगिरि में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित ग्राम सभाओं की भूमिका की सफलता के लिए सक्रिय रूप से काम किया था। उस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पुलिस और वेदांता कंपनी ने उन्हें माओवादी बताते हुए गिरफ्तार किया और यूएपीए सहित कई झूठे मामले दर्ज कर उन्हें कई महीनों तक जेल में रखा।

2015 में लोक संग्राम मंच का एआईके एमएस में विलय हुआ था। इसके बाद उन्हें रायगढ़ा जिला एआईकेएमएस के सचिव के रूप में चुना गया। वह सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी के जिला समिति के सदस्य थे। कामरेड हरीबंधु वन संरक्षण अध्यादेश 2022 को वापस लेने की मांग को लेकर अपने जिले के साथियों के साथ दिल्ली में आयोजित संसद मार्च में शामिल हुए थे। का. हरीबंधु कद्रका आदिवासियों, दलितों और गरीब जनता के सच्चे नेता थे। सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी ने उनके असामयिक निधन को ना केवल आंदोलन के लिए बल्कि विशेष रूप से रायगड़ा जिले के आदिवासी, दलितों और गरीबों की अपूरणीय क्षति बताया है जिन्होंने अपना लोकप्रिय नेता खो दिया।

तेलंगाना : पीडी.एस.यू. द्वारा छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए व्यापक आंदोलन

तेलंगाना में पी.डी.एस.यू. ने लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ा है। खम्मम और सूर्यपेट में पीडीएसयू के नेतृत्व में लंबित छात्रवृत्ति और उसके भुगतान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किये गये। खम्मम में छात्रों ने कलेक्ट्रेट आफिस पर प्रदर्शन कर बकाया छात्रवृत्ति तत्काल जारी करने की मांग की है। पवेलियन ग्राउंड से छात्रों ने खम्मम कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला। पीडीएसयू के राज्य महासचिव महेश और राज्य उपाध्यक्ष पी. किरण ने कलेक्टर कार्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से रुका छात्रवृत्तियों का भुगतान जल्द से जल्द तेलंगाना सरकार कराए। अन्यथा छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कलेक्टर कार्यालय पर सभा को संबोधित करते हुए पीडीएसयू खम्मम जिला अध्यक्ष क्रांति, महासचिव मस्तान, संयुक्त सचिव उपेंद्र, तिरुमलेश, सतीश बनी, किरण आदि नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि गिरफ्तार छात्रों को तत्काल बिना शर्त रिहा किया जाए। इसके अलावा सूर्यपेट में भी पीडीएसयू ने 3375 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी करने की मांग को लेकर विशाल मार्च निकाला। राजधानी हैदराबाद में छात्रों ने रोष प्रदर्शन कर राज्य के मंत्री का घेराव किया। पीडीएसयू नेताओं ने तत्काल मौजूदा और बकाया छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की। इसके अलावा पीडीएसयू ने "स्कॉलरशिप हेयर" स्टेट अभियान भी सोशल मीडिया पर शुरू किया है।

पोराझार–कवाखाली (सिलीगुड़ी) : पुलिस द्वारा विस्थापितों की गिरफ्तारी

पश्चिम बंगाल के पोराझार–कवाखाली भूमि बचाओ समिति और तीस्ता महानंदा परियोजनाओं के प्रभावितों और विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजा आंदोलन पर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार का दमन बढ़ता जा रहा है। 17 अगस्त को सिलीगुड़ी अनुमंडल कार्यालय के बाहर कंचनजंघा स्टेडियम पर सभा के लिए एकत्र हो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एआईकेएमएस दार्जिलिंग के जिला सचिव कामरेड परन चंदा व अन्य संगठनों के नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प के कारण इलाके में तनाव फैल गया है। प्रदर्शन में भक्ति नगर, माटीगाड़ा, एनजेपी, जलपाईगुड़ी आदि क्षेत्रों से आए 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 अगस्त को एक बार फिर एआईके एमएस व अन्य संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर टीएमसी सरकार को चेतावनी दी है।

पोराझार–कवाखाली क्षेत्र में मिनी टाउनशिप निर्माण परियोजना और तीस्ता महानंदा सिंचाई परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन बीते डेढ़ दशक से चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार से लेकर अभी ममता बनर्जी सरकार तक इस मामले में विस्थापितों का उत्पीड़न और दमन करती रही है। 17 अगस्त के पुलिस दमन के बाद भूमि रक्षा समिति और एआईकेएमएस ने 24 अगस्त को सिलीगुड़ी शहर में विशाल विरोध मार्च निकाला। बाद में कंचनजंघा स्टेडियम में आयोजित जनसभा में एआईकेएमएस नेता परन चंदा ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांग की कि वह तत्काल दोनों ही परियोजनाओं के विस्थापितों को उनकी जमीन वापस दे। अन्यथा जमीन के मालिक और किसान व्यापक आंदोलन छोड़ेंगे। पोराझार–कावाखाली क्षेत्र में 2004 में तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया था। उस समय कुछ किसानों ने अपनी जमीनें दी थीं। शेष अधिकांश जमीनें जबरन अधिग्रहित की गई थी। इसके विरोध में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है।

2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सरकार ने विस्थापित परिवारों को जमीन वापस करने का वायदा किया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को जमीनें वापस नहीं दी गई और सरकार ने उद्योगपति हर्ष बतिया को रु. 78 करोड़ में जमीन बेच दी, जबकि उस समय उसकी कीमत 353 करोड़ रुपए थी। इसी तरह 8वें–9वें दशक में सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में तीस्ता महानंदा बैराज सिंचाई परियोजना का निर्माण के तहत कई गांवों और क्षेत्रों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तत्कालीन सरकार ने एक बांध पोराझार–कवाखाली निर्माण के लिए भी 6000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी और विस्थापितों के परिजनों को मुआवजा व रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। भूमि रक्षा समिति की सचिव सपना फाइन ने कहा कि 9 माह से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीओ कार्यालय के बाहर सभा की अनुमति ली गई थी फिर भी पुलिस ने सड़क पर ही प्रदर्शनकारियों को पीटा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

उ.प्र.: सांप्रदायिक विभाजन व फासीवादी दमन बढ़ा

(पृष्ठ 2 का शेष)

शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक ने लिखा है कि उसने 5000 दंगाइयों को पत्थर चलाते देखा, जिनमें से 70 को उसने पहचान लिया। इनमें 69 मुसलमानों का नाम है और 70वां नाम डॉ. आशीष मित्तल का है। एफआईआर घटना के 13 घंटे बाद अगले दिन सुबह 3:13 दर्ज की गई है।

कुछ और तथ्य भी जरूरी हैं। सीएए, एनआरसी व एनपीआर के विरुद्ध रोशन बाग, प्रयागराज में पूरी तरह से, पूरा समय, शांतिपूर्वक धरना जनवरी से मार्च 2020 तक चला। पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज सभी केस महामारी कानून के उल्लंघन और गैरकानूनी रूप से एकत्र होने के थे। वाम संगठनों और जनवादी तथा क्रांतिकारी संगठनों ने इसमें बढ़–चढ़कर भाग लिया था। इसमें एआई केएमएस भी सक्रिय रूप से शामिल रहा। यह विरोध कोरोना लॉकडाउन की आड़ में खत्म किया गया।

हाल के विधानसभा चुनावों में, प्रयागराज में सक्रिय ढंग से भाजपा के विरुद्ध चुनाव प्रचार किया गया, जिनमें कई रैलियां भी निकलीं। चुनाव के बाद भी इलाहाबाद में नागरिक समाज के बैनर तले सरकार के फासीवादी और जनविरोधी शासन के खिलाफ विरोध आयोजित किए गए। एक ऐसा आयोजन 10 जून, 2022 के लिए तय था, जो 1857 के स्वतंत्राता संग्राम के दौरान, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में, खुसरोबाग में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की वर्षगांठ पर था। प्रचार में कहा गया कि भारत में सभी धर्मों की साझी विरासत रही है और देश में आमंत्रित की जा रही विदेशी पूंजी दिखाती है कि विदेशी लूट के खिलाफ जनता की लड़ाई अभी अधूरी है। स्वाभाविक है कि सरकार ने 10 जून को यह एफआईआर दर्ज की।

एआईकेएमएस महासचिव का. आशीष मित्तल को 9 जून की शाम 6.25 पुलिस ने एक आरोप पत्र प्रेषित किया जिसमें उन पर 3 जून के कानपुर दंगों के संदर्भ में, भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया था, जो पूरी तरह गलत है। 10 जून को उन्हें एसीएम–2 प्रयागराज की अदालत में पेश होकर इस आरोप पत्र पर बंधपत्र भरने का आदेश था। वह 10 जून को कोर्ट ने प्रस्तुत थे। पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट सरकार की पूर्व नियोजित योजना को रेखांकित करती है।

4 लेबर कोड के खिलाफ विभिन्न प्रांतों में विरोध प्रदर्शन

(पृष्ठ 1 का शेष)

ही इफ्टू सहित जिले के अन्य ट्रेड यूनियन नेताओं के घरों और कार्यालयों को घेर कर उन्हें हाउस अरेस्ट किया। विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे श्रमिकों और नेताओं को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया गया और उन्हें 15 किलोमीटर दूर ले जाकर दिन भर गिरफ्तार रखा गया। पुलिस गिरफ्तारी में ट्रेड यूनियन नेताओं ने एक विरोध सभा का आयोजन किया। इफ्टू, एटक, सीटू और अन्य यूनियनों के 250 से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ इफ्टू के राष्ट्रीय सचिव कामरेड पी. प्रसाद और कई महिला नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया, जो देर शाम रिहा किए गए। विजयवाडा, एलुरु, काकीनाडा, देवरपल्ली, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, जनगारेडीगुडेम, विजयानगरम और अन्य स्थानों पर 10 ट्रेड यूनियन्स की संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति ने दूसरे दिन भी धरना दिया। ट्रेड यूनियनों में इफ्टू, सीटू, एटक, इंटक, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, आईएफटीयू, टीयूसीआई, एचएमएस और इफ्टू–2 शामिल थे। दूसरे दिन 26 तारीख की सुबह से ही पुलिस ने तिरुपति की प्रत्येक सड़कों और चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए थे। कई ट्रेड यूनियन नेताओं के घरों पर पुलिस तैनात कर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया जिनमें इफ्टू नेता हरिकृष्णा प्रमुख हैं।

तेलंगाना

तेलंगाना के श्रम मंत्री से इफ्टू नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर मांग की कि वह श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चार श्रम कानूनों को विरोध करें। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के पहले दिन हैदराबाद, निजामाबाद, खम्मम, मंचिर्याल और सूर्यापेट कि इफ्टू इकाइयों ने विरोध मार्च निकालकर जनसभा की। तेलंगाना में 25 और 26 अगस्त को दोनों ही दिन खम्माम, सूर्यपेटा, आलर, निजामाबाद, मंचरियाल और हैदराबाद कलेक्ट्रेट सहित 10 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए।

ओडिशा

ओडीशा में भारी वर्षा के बावजूद कोरापुट, गंजाम और रायगड़ा जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर जुलूस निकाले गए और जनसभाएं की गईं। वर्षा के कारण कई जिलों व औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यक्रम स्थगित कर देने पड़े। दूसरे दिन कोरापुट जिले के तोशाली सीमेंट लिमिटेड के श्रमिकों ने प्रदर्शन किए। इसके अलावा आदित्य बिरला बॉक्साइट माइनिंग काशीपुर में भी 4 लेबर कोड के खिलाफ श्रमिकों ने प्रदर्शन किया।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में इफ्टू ने पहले दिन तिरुपति श्रम सम्मेलन में चर्चा के लिए लाए गए 4 लेबर कोड के विरोध में कोलकाता में रैली निकाली और निजाम पैलेस पर जाकर डिप्टी लेबर कमिश्नर को ज्ञापन दिया। तिरुपति में विरोध कर रहे ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों की गिरफ्तारी और पुलिस दमन के खिलाफ पश्चिम बंगाल इफ्टू ने दानकुनी, उत्तरपारा और हुगली में विरोध प्रदर्शन कर तत्काल 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग की। कोलकाता में संयुक्त रैली में इफ्टू के अलावा सीएसडब्ल्यू, इफ्टू(एस), टीयूसीआई और अन्य ट्रेड यूनियनें शामिल थीं। हुगली में जूट मिल श्रमिकों ने भी विरोध मार्च निकाला। पश्चिम बर्दवान जिले में पंडेश्वर में इफ्टू ने 4 लेबर कोड तथा तिरुपति में पुलिस दमन के खिलाफ जुलुस निकाला।

दिल्ली

दिल्ली में इफ्टू ने श्रमिक विरोधी 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग करते हुए जंतर मंतर पर धरना दिया। सभा में तिरुपति में प्रदर्शन करने वाली ट्रेड यूनियनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई। दूसरे दिन भी दिल्ली में सीआईटीयू, एआईसीसीटीयू और इफ्टू ने दक्षिण जिला श्रम विभाग में संयुक्त धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के संयुक्त ट्रेड यूनियन के मंच की ओर से पूर्वी और उत्तर–पूर्वी दिल्ली श्रम विभाग में भी धरना दिया और दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। श्रम मंत्री को दिए ज्ञापन में मांग की गई है कि दिल्ली में जो पहले से श्रम कानून चले आ रहे हैं उन कानूनों को भी ठीक I sykxwughafd; k t k jgk gSA 10% मजदूरों पर भी श्रम कानूनों की सुविधाएं नहीं लागू हैं। ऐसे में दिल्ली में 4 लेबर कोड लागू किए गए तो 95% श्रमिक बाहर हो जाएंगे। 26 अगस्त को ही इफ्टू ने मायापुरी औद्योगिक एरिया में 4 लेबर कोड रद्द कराने की मांग को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया। इससे पूर्व सुबह 11 बजे इफ्टू के साथियों ने डीएलसी को एक मेमोरेंडम देकर मांग की कि 4 लेबर कोड रद्द किये जाएं।

पंजाब

पंजाब में इफ्टू कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ आप पार्टी के विभिन्न विधायकों को जाकर ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि पंजाब सरकार घोषणा करे कि वह श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड नहीं लागू करेगी।

बिहार

एनटीपीसी कहलगांव में श्रमिकों द्वारा विरोध स्वरूप काले बैज पहने गए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और एनटीपीसी कामगार संघ ने जुलूस निकालकर फैक्ट्री गेट पर 4 लेबर कोड का विरोध कर प्रदर्शन किया।

इफ्टू के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड बी प्रदीप ने श्रमिकों के दो दिवसीय विरोध प्रदर्शनों को सफल बताते हुए तिरुपति में पुलिस दमन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने 4 लेबर कोड पर सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों का आह्वान किया कि वे श्रम सम्मेलन में कोड को अस्वीकार करें और अपना विरोध रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। इफ्टू ने सभी राज्य सरकारों का आह्वान किया है कि वह 4 लेबर कोड निरस्त कर पुराने कानूनों के कार्यान्वयन को गंभीरता से सुनिश्चित करें। का. प्रदीप ने ट्रेड यूनियनों के दूसरे दिन भी जारी विरोध प्रदर्शन पर एक बयान जारी कर मजदूर वर्ग को चेताया कि ऐसी सूचनाएं हैं कि केंद्र सरकार अभी के लिए वेतन कोड और सामाजिक सुरक्षा कोड को लागू करने पर जोर दे रही है। इससे चार कोड को लागू करने का रास्ता खुल जाएगा और उन कानूनी अधिकारों से भी श्रमिकों को वंचित कर दिया जाएगा जिन्हें मजदूर वर्ग ने लंबे संघर्षों से प्राप्त किया था और सरकारों को कानून बनाने के लिए विवश किया था। का. प्रदीप ने सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि हम सब मिलकर मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को निरस्त करने के लिए संघर्ष को मजबूत करें और किसी भी राज्य सरकार द्वारा उन्हें लागू करने की कोशिशों के खिलाफ राज्यों में भी संघर्ष तेज करें।

25 जुलाई 2022 : कोरापुट (ओडिशा) में विरोध प्रदर्शन (ऊपर) कहलगांव (बिहार (बीच में) तथा कोलकाता (नीचे)

25 जुलाई 2022 को देशव्यापी विरोध आवाहन के दौरान नवांशहर में विधायक को ज्ञापन देते इफ्टू के नेता तथा कार्यकर्ता (ऊपर)

दिल्ली में जंतर मंतर पर लेबर कोड के विरोध में इफ्टू द्वारा प्रदर्शन के दौरान इफ्टू कार्यकर्ता (नीचे)

लखीमपुर में किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन : अपराधिक गृहमंत्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा

18 अगस्त की सुबह लखीमपुर की राजापुर गल्ला मंडी में दसियों हजार किसान स्थानीय सांसद और बाहुबली अजय मिश्रा "टेनी"ष्को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से बर्खास्त करने और 3 अक्टूबर 2021 को किसानों के नरसंहार में मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमा हुए।

18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय एसकेएम धरना और 75 घंटे के विरोध की घोषणा की गयी थी। जहां एक ओर किसान रैली की सफलता के लिए सभाएं कर रहे थे, वहीं आरएसएस/भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य बाजारों और आसपास के कस्बों और गांवों में लोगों को भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देने के लिए सक्रिय अभियान चलाया था। जिला अधिकारियों ने इलाके के सभी जन संगठनों को भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी थी। जैसा कि बताया गयौ, कुछ सिख नेताओं को भी चेतावनी दी गई थी तथा कुछ अन्य, जो सरकार के पक्ष में रहे हो, वे आरोप लगा रहे थे कि एसकेएम नेतृत्व ने किसानों को धोखा दिया है। उनका यह भी प्रश्न था कि धरना सिर्फ 3 दिन के लिए ही क्यों? यह कैसे कुछ हासिल कर सकता है? उनका प्रचार था कि एसकेएम नेता यहां एक उपद्रव करना चाहते हैं ताकि बाद में स्थानीय सिखों को योगी सरकार के क्रोध का सामना करना पड़े। स्पष्ट था कि टेनी की दादागीरी स्थानीय स्तर पर भी और प्रशासन के भीतर भी व्यापक और प्रभावशाली है। यह भी स्पष्ट था कि स्थानीय लोग टेनी के गुण्डों से डरते हो।

इसलिए जब 17/18 की रात को मुख्य रूप से पंजाब से बड़ी संख्या में किसान सीतापुर पहुंचने लगे तो मीडिया और प्रशासन दोनों समझ गए कि उनका अनुमान गलत है। पंजाब के किसान बड़ी संख्या में सड़क मार्ग से भी पहुंचे और अनुमान है कि वे कुल मिलाकर 10,000 के करीब थे। यूपी के बाकी हिस्सों ने भी लामबंद किया था। किसान संगठन के झंडों और बैनरों का प्रभाव, लोगों का मार्च करना और टेनी को हटाने और गिरफ्तारी की मांग करना सरकार के लिए बड़ा झटका था। लोग मुद्दे को अच्छी तरह जानते थे। जनता की सहानुभूति किसानों के साथ थी।

मंडी के अंदर व्यवस्था लगभग 4 से 5000 की क्षमता वाले एक मुख्य शेड में की गई थी। प्रशासन द्वारा पानी की आपूर्ति, मोबाइल शौचालय और स्वच्छता की व्यवस्था नहीं की थी, जबकि गुरुद्वारा भोजन, पानी और चाय उपलब्ध कराने में व्यस्त थे। जैसे ही सभा शुरू हुईं, माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। प्रतिभागियों ने दिल्ली सीमाओं पर अपने 13 महीने के प्रवास को याद करते हुए एक–दूसरे को बधाई दी और गले लगाया।

पंजाब के लगभग सभी संगठन मौजूद थे उन संगठनों को छोड़कर जिन्होंने एसकेएम को 3 जुलाई की बैठक की प्रक्रिया में छोड़ दिया था। इस बैठक ने 16 पंजाब संगठनों की सदस्यता बहाल कर दी थी। यूपी से संगठनों की भागीदारी कम थी, लेकिन फिर भी बहुत से संगठन आये थे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रा, जो 13 महीनों के दौरान यूपी से लामबंदी का मुख्य केंद्र था, को लामबंद नहीं किया गया। अधिकांश संगठनों के नेता मौजूद थे।

संगठन के इस विरोध की पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद, सरकार को दमन और मुआवजे की मांगों पर घोषणाएं करने के लिए मजबूर करने के क्रम में, 9 दिसंबर का जो पत्रा सरकार ने भेजा था, उसमें लखीमपुर नरसंहार से जुड़े सवालों पर स्पष्ट घोषणा नही थी। इस स्थिति में यह निर्णय लिया गया था कि इस घटना से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दों के लिए, एसकेएम लखीमपुर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम घोषित करेगा। एसकेएम ने जुलाई की बैठक में 3 दिवसीय धरने का निर्णय लिया।

मांगों को लेकर नेताओं ने सभा को संबोधित किया। कई मीडियाकर्मियों ने उन आपत्तियों को उठाया जो पिछले दिनों आरएसएस / भाजपा द्वारा प्रचारित की गई थीं। मंच से सभी का जवाब दिया गया। अजय मिश्रा टेनी का नाम, प्रचार के विपरीत, मूल प्राथमिकी में 3 स्थानों पर और विशेष रूप से एक साजिशकर्ता के रूप में उल्लेखित है; सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एसआईटी ने भी निष्कर्ष निकाला है कि 3 अक्तूबर की घटना सुनियोजित साजिश के तहत हुई थी; नरसंहार के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों में लुटेरों को मारने के आरोपियों को "गंभीर और अचानक उकसावे" के तहत हमला करने का लाभ दिया जाना चाहिए और छोड़ दिया जाना चाहिए, जैसा कि 4 अक्टूबर, 2021 को यूपी सरकार द्वारा वायदा भी किया गया था कि उन पर केवल आईपीसी की धारा 304 ए के तहत आरोप लगाए जाएंगे। किसानों की मांगों को सही ठहराते हुए वक्ताओं ने बताया कि कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित एमएसपी पर नई समिति में किसानों के कई प्रतिनिधि ऐसे हैं जो खुले तौर पर स्वामीनाथन फार्मूला के अनुसार सभी फसलों के एमएसपी की मांग का विरोध कर रहे थे। समिति के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण और जैविक खेती को शामिल करके विस्तारित किया गया है। ये दोनों ही खेती को और किसानों को कमजोर करने का सूत्रा हैं जबकि जरूरत खाद्य फसलों व खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और सी–2 + 50 फीसदी पर सभी फसलों की खरीद करने की गारंटी करने की है।

वक्ताओं ने कहा कि जहां सरकार ने बिजली विधेयक पेश करने से पहले किसानों से परामर्श करने का लिखित वायदा किया था, उसने संसद के इस सत्रा में उसे पेश कर दिया है। यूपी में कानून बनने से पहले ही कृषि में बिजली दर बढ़ा दिया गया है, प्रीपेड यानी रिचार्ज मीटर लगाए जा रहे हो और चुनाव के दौरान दिए गए वायदों के अनुसार खेती के लिए मुफ्त बिजली और 300 यूनिट मुफ्त घरेलू आपूर्ति नहीं की जा रही है।

इसके साथ ही एसकेएम ने मांग की कि एसकेएम नेताओं को 3 अक्टूबर के नरसंहार में टेनी के गुर्गों की हत्या के आरोपी जेल में बंद 4 किसानों से मिलने की अनुमति दे। करीब 8 महीने से इस मांग को नहीं माना जा रहा था। बड़े पैमाने पर लामबंदी के दबाव में इसकी अनुमति दी गई थी।

दूसरे दिन 19 अगस्त को स्थानीय और आसपास के जिलों से प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जनता पहले दिन की तुलना में दोगुने से अधिक हो गई। यह प्रतिक्रिया पंजाब की लामबंदी से प्रेरणा के साथ–साथ इस तथ्य का भी परिणाम थी कि सरकार की प्रतिक्रिया से आशंकित, स्थानीय लोगों को जानबूझकर दूसरे दिन आने के लिए लामबंद किया गया था। टेनी की गिरफ्तारी की मांग सभी लोगों की जुबान पर थी।

एसकेएम ने दूसरे दिन घोषणा की कि वह राज्य स्तर की समस्याओं को हल कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय चाहता है क्योंकि स्थानीय प्रशासन उन्हें हल करने में असमर्थ और अनिच्छुक था। केंद्रीय मांगों पर केंद्र सरकार के लिए एक ज्ञापन के अलावा, राज्य सरकार के लिए एक विस्तृत चार्टर तैयार किया गया था जिसमें राज्य में गन्ने के बकाया का भुगतान, वन भूमि के नाम पर भूमि से बेदखली का विरोध, प्रीपेड बिजली मीटर पर रोक, किसानों को तथा घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, आवारा जानवरों और सूखाग्रस्त इलाकों में मुआवजा देने, आदि की मांगें भी उठाई गयीं।

तीसरे दिन प्रशासन को लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक का वायदा करना पड़ा। प्रदर्शनकारियो का जोश बढ़ा व किसानों को लगा कि यह उनकी जमीन पर उनकी जीत है। जनता पंजाब से और स्थानीय लामबंदी दोनों से भारी भागीदारी से उत्साहित थी। इस अवसर पर वे एक बार और जोश के साथ लड़ाई को खड़ी करने लिए तैयार हुए।

रामगुंडम : एनटीपीसी ठेका कर्मियों पर लाठीचार्ज

इफ्टू के राष्ट्रीय महासचिव का. प्रदीप ने एनटीपीसी के संविदा कर्मियों पर सीआईएसएफ द्वारा बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि जिम्मेदार और दोषी सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। 2018 के समझौते के प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर 22 अगस्त सुबह 10 बजे ठेका श्रमिक संघों की संयुक्त बैठक में लगभग 2000 संविदा कर्मचारी एनटीपी सी के गेट पर जमा हुए थे। बैठक के बाद वे मुख्य द्वार की ओर जा रहे थे कि बिना किसी उकसावे के कमांडेंट के साथ आए सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इससे दो कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं। यह ठेका कर्मचारी लंबे समय से अस्थाई रोजगार को स्थाई करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वह पात्र भी हैं। एनटीपीसी दोषी सीआईएसएफ कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

इफ्टू ने इस हिंसा के लिए एनटीपीसी प्रबंधन और सीआईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया है। एन.टी.पी.सी. कहलगांव के ठेका कर्मचारियों के संगठन तथा एन.टी.पी.सी. कहलगांव कामगार संघ ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार